Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-171/2024]
Jai Prakash Singh.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Anr.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04.5.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-59/2023-24 में दिनांक-30.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बैसा	कन्हौर/ 116	44	473,474	20 डी.

दिनांक 22.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि उनके पिता को उनके ससुराल पक्ष के द्वारा 10 डी. जमीन दिया गया। जिसके उपरान्त उक्त जमीन पर उनके पिता का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा लगातार रहा है। उनका यह भी कहना है कि उनके पिता के ससुर ढ़ोराई लाल प्रश्नगत जमीन के सिकमीदार थे। तथा यह कि उनके द्वारा विपक्षी के जमीन का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय वैध भू-धारी से निबंधित केवाला के माध्यम से किया गया है। जिसके उपरान्त नामान्तरण करवाकर सरकार को भू-लगान अदा किया जा रहा है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन पर उनके नाम से जमाबंदी सं.-310 कायम है एवं वर्ष 2023-24 तक का लगान भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी के द्वारा तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी द्वारा निबंधित केवाला दस्तावेज सं.-3641 दिनांक-15.5.2004 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय किया गया है। जिसके उपरान्त उनके नाम से जमाबंदी सं.-310 कायम किया गया एवं सरकार को अद्यतन लगान अदा किया जा रहा है। कागजातों में संदर्भित अंचल कार्यालय, बैसा के भू-मापी अभिलेख सं.-13/2023-24 में रक्षित अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत यह परिलक्षित हो रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी के खरीदगी जमीन के कुछ हिस्से की जमीन पर घर बनाया गया है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष की बीच प्रश्नगत खेसरा की जमीन के मापी/सीमांकन का विवाद है। तथा यह कि उक्त विवाद के समाधान हेतु प्रासंगिक खेसरा/जमीन का मापी-सीमांकन कराया जाना आवश्यक है।

अतः तदनुसार अंचल अधिकारी, बैसा को आदेश दिया जाता है कि अंचल अमीन की टीम बनाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में प्रश्नगत खेसरा/जमीन का मापी एवं सीमांकन करायेंगे। तथा यह कि मापी के अनुरूप विधिमान्य दखल-कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। मापी में

	04.5.2026	अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के खरीदगी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के स्थिति में मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 04/5/2026 आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 04/5/2026 आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	